

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)

रामराज पिता रामेश्वर गुर्जर नि. मोतीपुरा

बनाम

जगरूप पिता श्री किशन गुर्जर नि. श्रीपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 59 /2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
12.04.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मोतीपुरा प. ह. किशनगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 143 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, आ.न. 144 रकबा 0.3564 हैक्टेयर, आ.न. 145 रकबा 0.3456 हैक्टेयर, 134 रकबा 0.0756 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम मोतीपुरा प. ह. किशनगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 143 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, आ.न. 144 रकबा 0.3564 हैक्टेयर, आ.न. 145 रकबा 0.3456 हैक्टेयर, 134 रकबा 0.0756 हैक्टेयरकी उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)</p>	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 59 / 2023

दिनांक :- 12.04.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 59 / 23 अनवान रामराज पिता रामेश्वर गुर्जर नि. मोतीपुरा बनाम जगरूप पिता श्रीकिशन गुर्जर, भोजा पुत्र श्री किशन गुर्जर, मन्नी देवी पत्नी किशना गुर्जर, रतना पुत्र श्री किशन गुर्जर, रामलाल पुत्र श्री किशन गुर्जर, लाडू देवी बेवा श्री किशन गुर्जर नि. श्रीपुरा (किशनगढ), गोपाल पुत्र नाना गुर्जर, घीसू पुत्र नाना गुर्जर, प्रभु पुत्र नाना गुर्जर, पाना देवी पत्नी नाना गुर्जर बरजी पुत्री नन्दा गुर्जर श्रीमति सोनी देवी बेवा नाना गुर्जर भारमल पुत्र उदा गुर्जर, मनभर पुत्री उदा गुर्जर, लाडू पुत्र उदा गुर्जर काना पुत्र रूपा गुर्जर, गमानी देवी पुत्र कजोड गुर्जर, गोपाल पुत्र खेमा गुर्जर, गोपाल पुत्र छीतर गुर्जर, घीसुलाल पुत्र छीतर गुर्जर, घीसी पुत्री छीतर गुर्जर, न्याली पुत्री छीतर गुर्जर, बरजी पत्नी कजोड गुर्जर, रूकमा पत्नी छीतर गुर्जर, रामघणी पुत्री कजोड गुर्जर, संजा पुत्री पुत्री कजोड गुर्जर नि. श्रीपुरा किशनगढ वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम मोतीपुरा प. ह. किशनगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 143 रकबा 0.4212 हैक्टेयर, आ.न. 144 रकबा 0.3564 हैक्टेयर, आ.न. 145 रकबा 0.3456 हैक्टेयर, 134 रकबा 0.0756 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)